UPBJ180029712022

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट नगीना बिजनौर।

दाण्डिक वाद सं0 **1602/2022**

सरकार बनाम रामसिंह

धारा–60 आबकारी अधिनियम

थाना–नगीना देहात, जिला बिजनौर।

मु0अ0सं0 **233/2020**

आरोप

मैं, **प्रतीक त्रिपाठी** सिविल जज(जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट नगीना, जिला बिजनौर आप **रामसिंह** को निम्न आरोप से आरोपित करता हूॅ :–

यह कि दिनांक 25–08–2020 समय 18:30 बजे वहद स्थान अभियुक्त के मकान के सामने ग्राम हैजरपुर अन्तर्गत थाना क्षेत्र नगीना देहात जिला बिजनौर में आपको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा आपकी जामातलाशी पर आपके कब्जे से 26 पव्वे फाईटर मार्का देशी मसालेदार शराब के बरामद हुए। शराब रखने का लाईसेंस तलब करने पर आप लाईसेंस दिखाने में कासिर रहे। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो आबकारी अधिनियम की धारा **60** के अंतर्गत दंडनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा मैं आपको निर्देशित करता हूॅ कि आपका विचारण उक्त अपराध में इस न्यायालय के समक्ष मेरे द्वारा किया जाये।

दिनांक: **04–06–2025**

(प्रतीक त्रिपाठी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट/ सिविल जज,(जू0डि0),
नगीना, बिजनौर।
आई.डी.सं0–UP03205

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे उन्होंने इन्कार किया और न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रार्थना की ।

दिनांक: **04–06–2025**

(प्रतीक त्रिपाठी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट/ सिविल जज,(जू0डि0),
नगीना, बिजनौर।
आई.डी.सं0–UP03205